1

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

" बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर, अंचल अन्तर्गत मौजा– कांट में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5337.56 लाख (तिरपन करोड़ सैंतीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

(इबरार अहमद खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2

प्रेस नोट

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत अंचल–चेनारी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5613.68 लाख (छप्पन करोड़ तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

(इबरार अहमद खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

(3)

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की शून्य ग्राह्यता की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु श्री जटाशंकर पाण्डेय (बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा वरीयता क्रमांक–156/2013) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड संसूचित किया जाता है।

(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण, उपादान समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्तियुक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आँकड़ों का संग्रह, संधारण, सारणीयन एवं डिजिटलाइजेशन के साथ ही तकनीकी निगरानी रखे जाने को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–9 (सांख्यिकी) संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

राज्य में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–9 (सांख्यिकी) संवर्ग के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य "बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–9 (सांख्यिकी) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025" प्रवृत की जा रही है।

23/5

(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

5 8/58

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स(CoE) की स्थापना हेतु 05 करोड रूपये का मनोनयन के आधार पर अंशदान की स्वीकृति एवं उक्त राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत नागरिक सेवाओं के निष्पादन(Delivery of Citizen Services) को Artificial Intelligence(AI) के उपयोग से अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स(CoE) की स्थापना के द्वारा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
25/5/2025

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर कुल–43 पद, जिला स्तर पर कुल–76 पद (प्रत्येक जिला के लिए 02 पद), प्रखंड स्तर पर कुल–534 पद (प्रत्येक प्रखंड के लिए 01 पद) अर्थात कुल–653 पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
28/5/2015

7

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद, फुलवारीशरीफ का क्षेत्र विस्तार के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में शहरीकरण वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं लाभ प्राप्त होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 16.51 वर्ग कि0मी0 तथा कुल जनसंख्या 113594 हो जायेगी।

24/5/15

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(8)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद, दानापुर निजामत का क्षेत्र विस्तार के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में शहरीकरण वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं लाभ प्राप्त होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 23.14 वर्ग कि0मी0 तथा कुल जनसंख्या 195564 हो जायेगी।

24/5/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(9)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद, खगौल का क्षेत्र विस्तार के पश्चात नगर निकाय के द्वारा प्रदान किये जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही राज्य में शहरीकरण वृद्धि होगी तथा वहाँ के नागरिकों को शहरी सुविधाओं लाभ प्राप्त होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 9.4 वर्ग कि0मी0 तथा कुल जनसंख्या 65451 हो जायेगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत आरा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 138,26,73,430/– (एक सौ अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ तीस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आरा जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

आरा जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत 14684 गृह जल संयोजन हेतु 11 ट्यूब्वेल, 11 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 4 जलमीनार, 4 जलमीनार कैम्पस, 6.200 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 185.060 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे आरा शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

11

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत सिवान जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,13,28,76,000/- (एक सौ तेरह करोड़ अट्ठाईस लाख छिहत्तर हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सिवान जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

सिवान जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत अन्तर्गत 20662 गृह जल संयोजन हेतु 7 ट्यूब्वेल, 7 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 6 जलमीनार, 6 जलमीनार कैम्पस, 1.300 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 158.470 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे सिवान शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

Sd/- 2/5/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(12

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत सासाराम जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 76,44,10,000/- (छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख दस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सासाराम जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

सासाराम जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत अन्तर्गत 11036 गृह जल संयोजन हेतु 3 जलमीनार, 3 जलमीनार कैम्पस, 5.000 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 117.390 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे सासाराम शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

५/५/२५

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत औरंगाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 4,97,65,37,000/– (चार सौ सत्तानवे करोड़ पैंसठ लाख सैंतीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औरंगाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

औरंगाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना में 30 वार्डो के 24000 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 20 MLD का STP, 196 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 8 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 5.400 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे मोतिहारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क सुविधा प्राप्त होगी।

21/5/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(14)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत सिवान सिवरेज नेटवर्क परियोजना (फेज–1) हेतु लागत राशि रू० 3,67,03,50,075/– (तीन सौ सड़सठ करोड़ तीन लाख पचास हजार पचहत्तर रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सिवान सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

सिवान बक्सर सिवरेज नेटवर्क परियोजना में 25 वार्डो के 29555 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 24 MLD का STP, 128 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 4 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 1.590 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे मोतिहारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क सुविधा प्राप्त होगी।

14/5/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(16)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजा–दुजरा दियारा, थाना नं0–139 में कुल प्रस्तावित रकबा–05 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर जहाज की मरम्मति/ड्राई डॉक के निर्माण हेतु 4,200/– (चार हजार दो सौ) रू0 प्रति डी0 की दर से 21,00,000/– (इक्कीस लाख) रू0 सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत राशि 1,05,000/– (एक लाख पाँच हजार) रू0 वार्षिक लगान के भुगतान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को दिये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–

नाम :– (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(17)

प्रेस नोट

बाँका जिलान्तर्गत अंचल–अमरपुर के मौजा–राजपुर, थाना सं0–351 के खाता सं0–132 एवं 133 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–25 एकड़ गैरमजरूआ मालिक/आम भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :– अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

प्रेस नोट

विभागीय सॉफ्टवेयर – वैटमिस एप्लीकेशन (VATMIS Application) के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक 23.08.2024 से 22.08.2025 तक) हेतु मेसर्स टी.सी. एस. द्वारा वार्षिक रख–रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीनीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) को देय कुल राशि **रू० 1,19,82,194/–(एक करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार एक सौ चौरानबे रू०) मात्र** एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

(19)

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
प्रेस–विज्ञप्ति

राज्य में एभिएशन टरबाईन फ्यूल (ATF) पर लागू वैट की दर को घटाये जाने के संबंध में।

---

1. वायुयान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट की दर राज्य में प्रारंभ से 29% रही है।

2. ATF पर वैट की दर कम किए जाने के संबंध में प्रथम पहल वर्ष 2018 में की गई जब रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अंतर्गत वैट की दर 1% की गई थी।

3. इस दिशा में दूसरा कदम 2022 में उठाया गया जब गया एयरपोर्ट के लिए ATF पर वैट की दर 4% कर दी गई। अन्य मामलों में यह दर 29% रही है।

4. यह पाया गया था कि राज्य में हवाई उड़ानो की सर्वाधिक संख्या पटना एयरपोर्ट पर है जहां ATF पर वैट की दर 29% लागू है। यह कर दर उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की तुलना में ज्यादा थी। इस कारण वायुयान कंपनियों द्वारा उन्हीं राज्यों में ATF का क्रय कर लिया जाता था जहां वैट की दर कम है।

5. इस क्रम में वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा यह बताया गया कि ATF पर वैट की दर कम किए जाने से बिहार अन्य राज्यों के समकक्ष प्रतिस्पर्धी होगा तथा हवाई सम्पर्क में वृद्धि होगी। यह कहा गया कि जिन राज्यों द्वारा ATF पर वैट की दर कम की गई है वहां हवाई यातायात की संख्या में वृद्धि हुई है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। फलतः ATF पर वैट की दर को घटाने का अनुरोध किया गया।

6. सरकार द्वारा विचारोपरान्त राज्य में Regional Connectivity Scheme (RCS) हेतु पूर्व से लागू ATF पर वैट की दर 1% को यथावत रखते हुए अन्य सभी मामलों में राज्य में ATF पर वैट की दर को 29% से घटाकर 4% किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. सरकार के इस निर्णय से हवाई यातायात की संख्या में वृद्धि होगी, यात्रियों को सहूलियत होगी, पर्यटन में इजाफा होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
"प्रेस नोट"

(20)

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिप्लोमा) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2020 गठित की गई है। उक्त नियमावली की परिशिष्ट–1 तालिका–2 के अनुसार राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संकाय के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठयक्रम लागू है।

इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कतिपय संकाय का ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठयक्रम निर्धारित नहीं रहने के कारण उक्त संकाय में व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिससे संस्थानीय छात्र--छात्राओं के पठन–पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही व्याख्याताओं की कमी के कारण संस्थान को NBA Accreditation मिलने में कठिनाई हो रही है। अतएव इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। उस संकाय में नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठयक्रम का निर्धारित किये जाने के लिए बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

तदालोक में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता की नियुक्ति हेतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, उस संकाय के अधीन नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से संबंधित बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

5/5/25

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिग्री) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2020 गठित की गई है। उक्त नियमावली की परिशिष्ट–1 तालिका–2 के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संकाय के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठयक्रम लागू है।

इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कतिपय संकाय का ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठयक्रम निर्धारित नहीं रहने के कारण उक्त संकाय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिससे संस्थानीय छात्र–छात्राओं के पठ्न–पाठ्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही सहायक प्राध्यापकों की कमी के कारण संस्थान को NBA Accreditation मिलने में कठिनाई हो रही है। अतएव इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। उस संकाय में नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठयक्रम का निर्धारित किये जाने के लिए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

तदालोक में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, उस संकाय के अधीन नियुक्ति के निमित लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से संबंधित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

16/5/25

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में प्रवृत है। उक्त अधिनियम की धारा 8(i) के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव हेतु राज्य के प्रत्येक जिला में उतने संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है जितना आवश्यक है।

अतएव राज्य में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय (निगम)/जिला/अनुमंडल स्तर पर कुल–390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

21/5/2015

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

छज्जूबाग, पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवासन हेतु डी–टाईप, एनेक्सी भवन तथा गार्ड रुम के निर्माण हेतु कुल ₹7124.62 लाख (एकहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार रुपये)मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त निर्माण कार्य होने से वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं वरीय सिविल पदाधिकारियों के आवासन की कमी को दूर किया जा सकेगा।

(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या :– 15/औ०–14–09/2022 582(15) 19/05/2025

24

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना–05 सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ) के विरूद्ध रू०–1,59,21,651/–(एक करोड़ उनसठ लाख एक्कीस हजार छः सौ एकावन रूपये) आय से अधिक चल एवं अचल संपति के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–30/2022 दिनांक–24.06.2022 धारा–13(2) सह–पठित धारा–13(1)(बी)भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज है एवं सरकारी पद पर कार्य करते हुए पद का भ्रष्ट उपयोग एवं बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, गोला रोड, पटना (निजी संस्था) के अवैध रूप से निदेशक के पद पर कार्यरत रहने तथा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में बिना योगदान किये ही अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया एवं विभागीय पत्रांक–354(15), दिनांक–11.04.2023 के द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक–17.04.2023 को द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया। उक्त शास्ति/दंड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना–05 को उक्त आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

c:\users\acer\desktop\drug\drug 1.docx

सं0सं0–16 / एम.1–03 / 2023

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

Civil Appeal No.-6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–03.01.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–316(आ.चि.), दिनांक–25.03.2023 को निरस्त करने के संबंध में।

19.5.25

(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव

(51)

(26)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3 (तीन) वर्षो के लिए भू–सम्पदा पदाधिकारी के 02 एवं सहायक भू–सम्पदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

23/01/2025

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
प्रेस नोट

नामांकन के आधार पर चयनित अक्षय पात्र फाउंडेशन, बेंगलुरू को मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने हेतु केन्द्रीयकृत रसोईघर के निर्माण के लिए पूर्व में बलदेवा उच्च विद्यालय, दानापुर में उपलब्ध करायी गयी 0.5 एकड़ भूमि के स्थान पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर टाँड़, प्रखंड– नौबतपुर, जिला– पटना को हस्तातंरित की गयी 1.51 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु विद्यालयों के चयन के लिए शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने के संबंध में।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली–2025 के गठन के फलस्वरूप राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद एवं शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी (प्रोन्नति का प्रथम स्तर) के 568 पद अर्थात् कुल 1503 पदों का सृजन किया गया है।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार

<u>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग</u>

29

प्रेस नोट

बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के निरीक्षक मद्यनिषेध को उत्क्रमित वेतनमान पी0बी0–2+ग्रेड–पे 4600/–में दिनांक–01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक–21.01.2010 से वास्तविक लाभ की स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

उक्त उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 20.01.2010 से वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार निरीक्षक मद्यनिषेध को उत्क्रमित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 20.01.2010 तक वेतन निर्धारण का वैचारिक तथा 21.01.2010 से वास्तविक आर्थिक लाभ देय होगा।

इससे वेतन विसंगति दूर होगी निरीक्षक मद्यनिषेध के मनोबल तथा उनके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

30

।। प्रेस नोट।।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में 01 जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 (अड़तीस) कार्यालयों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु रूपये 1,12,05,74,844.00 (एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रूपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न प्रकार के कुल 1350 (एक हजार तीन सौ पच्चास) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

10/5/15

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(31)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 के लागू होने के पश्चात् वित्तीय शक्ति में अबतक कोई वृद्धि नही हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम की धारा–22(2)(क) तथा धारा–24(3)(क) के प्रावधानुसार प्रंबध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड की प्रदत्त वित्तीय शक्ति 50,000/–(पचास हजार रूपये) मात्र से बढ़ाकर रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपये) तक तथा धारा–24(3)(ख) में बोर्ड को प्रदत्त वित्तीय शक्ति 2.00 करोड़ (दो करोड़ रूपये) से बढ़ाकर रू0 5.00 करोड़ (पॉच करोड़) तक किये जाने के फलस्वरूप किफायती आवास योजना/जन–निजी भागीदारी योजना (पी0पी0पी0) आदि कार्य योजनाओं के त्वरित संचालन/क्रियान्यवयन हो सकेगा।

17/5/15

(अभय कुमार सिंह)
सचिव

(32)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं रिसर्च लैबरेट्री के निर्माण के संबंध में भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), पटना एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग (समझौता ज्ञापन) तथा इसके लिए संरचना निर्माण एवं संचालन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं रिसर्च लैबरेट्री की स्थापना का उद्देश्य निम्नवत् है :–

(क) भवन निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों/निगमों जो भवन निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, के द्वारा क्रियान्वित हो रही या की जाने वाली परियोजनाओं में अग्नि सुरक्षा हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्रियों की अग्नि वहन क्षमता तथा उपकरणों की जांच तथा प्रयुक्त सामग्रियों एवं उपकरणों की संविक्षा (Vetting) करना।

(ख) भवन निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों/निगमों जो भवन निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, के अभियंताओं को अग्नि सुरक्षा एवं अग्नि अभियंत्रण, बचाव के तरीके, अग्निकांड के उपरांत भवन में होने वाले क्षति का आकलन तथा उसके सुदृढ़ीकरण की विधि एवं उपाय, अग्निकांड के समय सुरक्षात्मक एवं बचाव कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कराना।

(ग) अग्निकांडों के पश्चात भवनों के संरचनात्मक अवयवों पर आग के प्रभाव, बहुमंजली इमारतों में अग्नि सुरक्षा हेतु आग के प्रसार के व्यवहार तथा स्थानीय उपलब्ध निर्माण सामग्रियों के अग्नि निरोधक क्षमता का अध्ययन करना ।

23/5/15

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

33

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस-नोट

बिहार लोक सेवा आयोग में रू॰ 83,88,000/-(तेरासी लाख अठासी हजार) के अनुमानित व्यय पर आशुलिपिक (पे लेवेल 4) के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति।

(मो॰ सोहैल)
सचिव 1/6/25

34

संचिका संख्या : 1 (यो०) व9–45 / 2009
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेसनोट

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना में पूर्व से सृजित पदों में से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के 09 पदों को समर्पित (सरेंडर) करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के कुल–818 पदों बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के लिए कुल–63 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से स्वीकृत तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के अतिरिक्त आवश्यक पदों का सृजन कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना में एकीकृत कार्यबल का गठन किया जायेगा।

2/6/2025

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में अनुमानित कुल–₹ 3,07,86,588 /– (तीन करोड़ सात लाख छियासी हजार पाँच सौ अठ्ठासी रूपये) मात्र वार्षिक वित्तीय व्यय पर 05 नये प्रशाखाओं का सृजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 01 (एक) पद तथा प्रशाखा पदाधिकारी के 05 (पाँच) पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 (बाईस) पद अर्थात कुल 28 (अट्ठाईस) पदों के सृजन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी।

23/05/2025

(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

पथ निर्माण विभाग
बिहार, पटना

प्रेस नोट

बिहार राज्य अन्तर्गत पुलों के समुचित रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु " बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति–2025" की स्वीकृति दी गई है।

राज्य में निर्मित पुल संरचनाओं के निरूपित Life Span में पूर्ण उपयोगिता हेतु तथा इनके सही एवं ससमय रख–रखाव एवं प्रबंधन के लिए कारगर अनुरक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गयी।

बड़ी संख्या में पुलों के निर्माण के पश्चात् कारगर प्रबंधन एवं संधारण महत्वपूर्ण हो जाता है। संधारण की समुचित नीति के अभाव में पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अकस्मात् दुर्घटना होने एवं आवागमन बाधित होने की संभावना बनती रहती है, जिससे आर्थिक नुकसान एवं जान–माल की हानि होने का खतरा बना रहता है।

तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित पुलों के प्रबंधन एवं संधारण के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति–2025 की स्वीकृति राज्यहित में महत्वपूर्ण कदम है।

इस नीति के लागु होने से राज्य में निर्मित पुलों का नियमित एवं सतत् अनुरक्षण होगा जिसके फलस्वरूप आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–61 Spl (रेलवे कि०मी० 177/17–19) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3076.38 लाख (रूपये तीस करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) सहित कुल ₹6639.51 लाख (रूपये छियासठ करोड़ उनतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–61Spl (रेलवे कि०मी० 177/17–19) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच निष्पादित एम०ओ०यू० दिनांक–07.05.2019 अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर किया जाना है।

प्रस्तावित आर० ओ०बी० बरौनी–तिलरथ रेल खंड के बीच अवस्थित है एवं इसके संरेखण होकर बरौनी – तिलरथ एम०डी०आर० पथ गुजरती है। विदित हो कि संबंधित पथ एन०एच०–31 से निकलते हुए प्रस्तावित आर०ओ०बी० होकर बरौनी की ओर जाती है, जो महत्वपूर्ण शहरों एवं कई गॉवों को जोड़ती है। जिस पर अत्यधिक Traffic Volume है।

प्रस्तावित 2–लेन आर०ओ०बी० की कुल लम्बाई 847.06 मीटर है, जिसमें आर०ओ०बी० अंश–76.080 मीटर, भाया डक्ट–350.40 मीटर, आर०ई०वॉल –409.90 मीटर के अतिरिक्त 5.5 मीटर चौड़ाई का सर्विस रोड तथा पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगुसराय जिलान्तर्गत बरौनी–तेघरा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–7B के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3452.46 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹14636.92 लाख (रूपये एक सौ छियालीस करोड़ छत्तीस लाख बानबे हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

बेगुसराय जिलान्तर्गत बरौनी–तेघरा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–7B के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच निष्पादित एम०ओ०यू० दिनांक–07.05.2019 अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर किया जाना है।

विषयांकित समपार के बदले प्रस्तावित आर०ओ०बी० बेगुसराय–समस्तीपुर मुख्य रेलवे लाईन के अन्तर्गत बरौनी–तेघरा रेल खण्ड के बीच अवस्थित है एवं इसके संरेखण से सकसोहरा / जीरोमाईल–निपानिया एम०डी०आर० पथ गुजरती हैं, जो महत्वपूर्ण शहरों /गाँवों को जोड़ती है, जिस पर Traffic Volume अत्यधिक रहता है।

प्रस्तावित 2–लेन आर०ओ०बी० की कुल लम्बाई 1237.210 मीटर है, जिसमें रेलवे अंश–494.76 मीटर, भाया डक्ट-336.00 मीटर, आर०ई०वॉल–406.450 मीटर के अतिरिक्त सर्विस रोड तथा पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी–चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–137 (रेलवे कि०मी० 133/12–13) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹8163.11 लाख (रूपये इक्यासी करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) सहित कुल ₹10615.96 लाख (रूपये एक सौ छः करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी–चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–137 (रेलवे कि०मी० 133/12–13) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे के बीच निष्पादित एम०ओ०यू० दिनांक–07.05.2019 अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर किया जाना है।

विषयांकित समपार के बदले प्रस्तावित आर०ओ०बी० जीवधारा–बापूधाम–मोतिहारी मुख्य रेलवे लाईन के अन्तर्गत चकिया–मेहसी रेल खंड के बीच अवस्थित है एवं इसके संरेखण से केसरीया–मधुबन मुख्य पथ गुजरती हैं, जो महत्वपूर्ण शहरों /गाँवों को जोड़ती है, जिस पर Traffic Volume अत्यधिक रहता है।

प्रस्तावित 2–लेन आर०ओ०बी० की कुल लम्बाई 815.370 मीटर है, जिसमें आर०ओ०बी० अंश–31.280 मीटर, भाया डक्ट–384.09 मीटर, आर०ई०वॉल–400 मीटर के अतिरिक्त सर्विस रोड तथा पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल सं0–1 गया अंतर्गत पुरानी बाईपास (सुजाता बाईपास) के चौड़ीकरण (4 लेन) एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 3783.35 लाख (सैंतीस करोड़ तिरासी लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित बाईपास पथ की कुल लंबाई 2.450 कि.मी. है। पथ की वर्तमान चौड़ाई 4मी. है जिसे चौड़ीकरण कर 4 लेन (कैरिजवे की चौड़ाई 14मी.) करने का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है। यह पथ गया–बोधगया पथ से प्रारंभ होकर होटल आनंद इन्टरनेशनल, मेटा बुद्धाराम मंदिर, उपाध्याय बिगहा इत्यादि होते हुए पुनः गया–बोधगया पथ पर समाप्त होती है।

पथ के मजबूतीकरण भाग में डी.बी.एम.–105एम.एम. एवं बी.सी.–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है तथा पथ के चौडीकरण भाग में जी.एस.बी.–200एम.एम, डब्लू.एम.एम.–250एम.एम, डी.बी.एम.–105एम.एम. एवं बी.सी.–40एम.एम. का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थल के आवश्यकतानुसार 3 अदद क्रास ड्रेन, 1 अदद आर.सी.सी. बाक्स कल्भर्ट एवं कुल 4900मी. लंबाई में आर.सी.सी. नाला का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत योजना में भूअर्जन का भी प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग के अधीन वृहद पैमाने पर भवन, भूमि एवं अन्य उपकरण आदि का रख–रखाव एवं संधारण किया जाता है। संसाधनों के बेहतर एवं ससमय अनुश्रवण हेतु समेकित डाटा बेस तैयार करने की आवश्यकता है ताकि पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य भर में फैले संसाधनों का अत्यधिक उपयोग एवं व्यवस्थित ढंग से अनुश्रवण किया जा सके। इस डाटा बेस के आधार पर पथ निर्माण विभाग के अनुपयोगित भूमि एवं अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा (बिहार बोर्डर) कच्ची कॉवरिया पथ के कि.मी. 0.70 से 83.350 कि.मी. तक मे श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मति, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख–रखाव कार्य हेतु 3847.10 लाख (अड़तीस करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित पथ प्रारंभ बिन्दु (एन.एच–2) के डोभी मोड़ एवं अंतिम बिन्दु इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्राधीन बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क है। इस पथ की कुल लंबाई 6.85 कि.मी. है। कैरिजवे की चौड़ाई 14मी. (4–लेन) का प्रावधान है। प्रस्तुत प्राक्कलन में जंक्शन इम्प्रुभमेंट कार्य, विभिन्न आकार के 18 अदद आर.सी.सी बॉक्स कल्भर्ट एवं 2 अदद उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल सहित विशिष्टियों के अनुसार रोड फर्निचर का भी प्रावधान किया गया है।

पथ परत में जी.एस.बी.–250एम.एमए डी.एल.सी–150एम.एम. एवं पी.क्यू.सी –280एम.एम. का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 18 माह प्रतिवेदित है। विषयांकित योजना में आवश्यकतानुसार भूअर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल जमुई अन्तर्गत जमुई–लखीसराय मुख्य पथ (एस.एच.–18) हंसडीह, आर.के.होटल, जमुई मलयपुर मेन रोड, घोड़ा अस्पताल, गिरीश टॉकिज, आई.टी.आई. कॉलेज, इन्दपे (एन.एच–333ए) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3736.45 लाख (सैतीस करोड़ छत्तीस लाख पैतालिस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 10.275 कि.मी. है। इसके वर्त्तमान कैरिज–वे में 3.00मी० / 3.75मी० को बढ़ाकर इंटरमिडिएट लेन (कुल चौड़ाई 5.5मी0) करने का प्रावधान है। यह पथ एस.एच.–18 के हांसडीह से प्रारंभ होकर आर.के.होटल, जमुई, घोड़ा अस्पताल, कल्याणपुर एवं आई.टी.आई. कॉलेज होते हुए इन्दपे (एन.एच–333ए) तक जाती है। इस पथ का स्वामित्व नगर परिषद एवं ग्रामीण कार्य विभाग का है। इस पथ में कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त की जाएगी। पथ के चौड़ीकरण हेतु भु–अर्जन की आवश्यकता नही है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अन्तर्गत मानपुर से गरखा पथ (कुल लंबाई 18.100कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹8147.58 लाख (एक्कासी करोड़ सैतालिस लाख अंठावन हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ मानपुर (एन.एच.–19 के लेफ्ट आउट पोरशन) से प्रारंभ होकर मानपुर, भैरवपुर, मटिहान चौक, कमालपुर, मौलवी बाजार, मिर्जापुर, रामगढ़ा, वसन्त बाजार, कुदारबडहा, चिन्तामनपुर, रामपुर, कदना बाजार, मुहम्मदपुर होते हुए गरखा बाजार (एन.एच.–722 के लेफ्ट आउट पोरशन) तक जाती है। पथ की कुल लंबाई 18.100 कि.मी. है। इसके वर्त्तमान कैरिज–वे 5.5मी0 / 7.00मी० को बढ़ाकर 10.00 मी0 किया जाना प्रस्तावित है। वर्त्तमान में यह पथ एम.डी.आर. है एवं इसके चौड़ीकरण के क्रम में आंशिक भु–अर्जन का प्रस्ताव है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

45

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-: प्रेस नोट :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान **(PM-JANMAN)** योजना के अभिसरण से राज्य के 05 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में स्वीकृत 10 नये आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू0 12.00 लाख (बारह लाख) की दर से शत प्रतिशत केन्द्रांश की राशि रू0 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख) तथा उक्त 10 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन के निमित केन्द्रांश मद में रू0 22,44,600/- (बाईस लाख चौवालीस हजार छः सौ) राज्यांश मद में रू0 19,16,400/- (उन्नीस लाख सोलह हजार चार सौ) एवं राज्य योजना मद में रू0 13,30,820/- (तेरह लाख तीस हजार आठ सौ बीस) कुल- रू0 54,91,820/- (चौबन लाख इक्यानवे हजार आठ सौ बीस) अर्थात कुल- 1,74,91,820/- (एक करोड चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार आठ सौ बीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2/6/2025

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

15

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

—: प्रेस नोट :—

आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03–06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू0 400/– (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

26/6/2025

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस–नोट

राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए चालक का दो (02) पद के सृजन का प्रस्ताव है।

राजभवन, पटना में माननीय/अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों एवं गणमान्य महानुभावों का आगमन तथा माननीय के राज्यान्तर्गत प्रोग्राम एवं सभी राज्यों का स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन की गाड़ियाँ हेतु चालक की आवश्यकता है।

राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए चालक का दो (02) पद के सृजन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

03/06/25

(निशीथ वर्मा)
अपर सचिव

F:\Kamlesh\Sanleakh.doc